उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या293/ VII-3–25/04(01)एम0एस0एम0ई0/2024
देहरादूनः दिनांकः 12 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के प्रचालनात्मक दिशानिर्देश, 2025

1. **परिचय**

1.1 उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 का उद्देश्य कई राजकोषीय और गैर–राजकोषीय नीतिगत साधनों के साथ नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना है, जिससे सभी प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। इस लक्ष्य के अनुसार, उत्तराखंड सरकार (जिसे आगे "सरकार" कहा जाएगा) ने उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के खंड 5.5 के तहत 200 करोड़ रूपये के कोष के साथ एक कोष के गठन की घोषणा की है, जिसे 17 मार्च 2023 को G-O 371/VII–3–23/41–MSME/2016 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इस कोष को आगे से "उत्तराखंड वेंचर फंड" या यूवीएफ (UVF) के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

1.2 उत्तराखंड सरकार का उद्योग विभाग यूवीएफ (UVF) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

2. **उद्देश्य**

2.1 उत्तराखंड वेंचर फंड या यूवीएफ (UVF) सार्वजनिक निधियों का लाभ उठाकर उत्तराखंड के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना।

2.2 सरकार पूंजी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष एआईएफ (AIF) में सीमित भागीदार के रूप में भाग लेने के लिए इस कोष का उपयोग करेगी।

2.3 सरकार अन्य सूचीबद्ध एआईएफ (AIF) में निवेश करेगी, जिनकी निवेश रणनीति यूवीएफ (UVF) के निवेश उद्देश्य और दिशानिर्देशों को पूरा करती है। स्टार्टअप में निवेश करना, जिसका उद्देश्य उन्हें इक्विटी फंडिंग के रूप में स्केल अप फंड प्रदान करना है, ताकि वे उत्तराखंड के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक स्पिल–ओवर प्रभावों के साथ अपने उद्यमों को सुदृढ़ और विकसित करने में सक्षम हो सकें।

3. **परिभाषाऐं**

वैकल्पिक निवेश निधि (AIF)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियॉं) विनियम, 2012 के अनुसार, "वैकल्पिक निवेश निधि" का अर्थ भारत में ट्रस्ट या कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में स्थापित या निगमित कोई भी निधि है, जो–

i. एक निजी रूप से एकत्रित निवेश माध्यम है जो निवेशकों से, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, अपने निवेशकों के लाभ के लिए एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिए निधि एकत्र करता है, और

ii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, भारतीय

File No. MSME-4/IP/1/2024-VII-B-1-MSME Department-Part(1) (Computer No. 76515)
Generated from eOffice by SANJAY KUMAR KALA, RO-MSME Section-SKK, REVIEW OFFICER, MSME Department on 12/03/2025 01:37 PM

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 या निधि प्रबंधन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए बोर्ड के किसी अन्य विनियमन के अंतर्गत शामिल नहीं है:

परन्तु कि इन विनियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को वैकल्पिक निवेश निधि नहीं माना जाएगा–

i. कंपनी अधिनियम, 2013, के तहत परिभाषित 'रिश्तेदारों' के लाभ के लिए स्थापित पारिवारिक ट्रस्ट,

ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के तहत स्थापित ईएसओपी ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुमति के अनुसार,

iii. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट, या कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित ग्रेच्युटी ट्रस्ट,

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की खण्ड 46 के तहत परिभाषित 'होल्डिंग कंपनियां,

v. अन्य विशेष प्रयोजन साधन जो फंड मैनेजरों द्वारा स्थापित नहीं हैं, जिनमें प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट शामिल हैं, जो एक विशिष्ट नियामक ढांचे के तहत विनियमित हैं,

vi. प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा प्रबंधित फंड जो कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है, और

vii. फंड का ऐसा कोई पूल जो भारत में किसी अन्य नियामक द्वारा सीधे विनियमित है।

कॉरपस : निवेशकों/सीमित भागीदारों से एआईएफ (AIF) द्वारा जुटाई गई कुल पूंजी प्रतिबद्धताएँ।

इक्विटी : इक्विटी वह राशि है जो किसी कंपनी के मालिक ने उसमें लगाई है या उसके पास है।

इक्विटी इन्वेस्टमेंट : इक्विटी निवेश वह धन है जो शेयर बाजार में उस कंपनी के शेयर खरीदकर किसी कंपनी में निवेश किया जाता है।

बहिर्गमन : स्टार्टअप बहिर्गमन तब होता है जब किसी स्टार्टअप कंपनी का मालिक (और निवेशक) या तो लाभ के लिए या नुकसान पर कंपनी में अपना स्वामित्व या स्टॉक बेचता है।

हर्डल दर : लाभ शेयर में भाग लेने में सक्षम होने से पहले एआईएफ (AIF) द्वारा प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम रिटर्न दर।

नवाचार : उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप नीति–2023 के खंड–1 के उप–खंड 1.11 में परिभाषित।

निवेश अवधि : वह अवधि जिसके दौरान एआईएफ (AIF) प्रतिबद्ध पूंजी को निवेश में लगाने का लक्ष्य रखता है।

लिमिटेड पार्टनर : एक निवेशक जो एआईएफ (AIF) को पूंजी देता है और जिसकी देयता उसकी पूंजी प्रतिबद्धता तक सीमित होती है।

निजी प्लेसमेंट ज्ञापन निवेशकों को यूनिट ऑफर करने के लिए एआईएफ (AIF) द्वारा जारी किया गया दस्तावेज, जिसमें सभी फंड विवरण शामिल हैं।

(पीपीएम) :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, एआईएफ (AIF) के लिए नियामक।

सामाजिक उद्यमः सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने या सामाजिक समस्याओं को हल करने की दिशा में काम करने वाली संस्थाएँ।

स्टार्टअप काउंसिल : उत्तराखंड स्टार्टअप नीति–2023 के खंड–1 के उप– खंड 1.23 में परिभाषित।

सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट : एआईएफ और एक निवेशक/एलपी के बीच कानूनी समझौता जो उनकी साझेदारी की शर्तों को नियंत्रित करता है।

टास्क फोर्स : उत्तराखंड स्टार्टअप नीति–2023 के खंड 1 के उप–खंड 1.26 में परिभाषित।

यूके–स्पाईस : उत्तराखण्ड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट–अप एंड इंटरप्रिन्योरशिप।

4. यूवीएफ (UVF) का संचालन एवं अनुश्रवण

4.1 फण्ड की स्थापना

4.1.1 उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के खंड 5.5 के अनुसार, सरकार ने उत्तराखंड वेंचर फंड या यूवीएफ (UVF) के रूप में 200 करोड़ रूपये का कोष स्थापित किया गया है।

4.1.2 यूवीएफ (UVF) एक समझौते में प्रवेश करके और पूंजी प्रतिबद्धताओं को बनाकर सेबी पंजीकृत एआईएफ (AIF) में एक सीमित भागीदार के रूप में भाग लेकर फंड का संचालन करेगा।

4.1.3 यूवीएफ (UVF) उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 या सरकार द्वारा परिभाषित नवीनतम अधिप्राप्ति नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से एआईएफ (AIF) को ऑनबोर्ड करेगा।

4.1.4 एआईएफ (AIF) को अपने खर्च पर एक मसौदा समझौता प्रस्तुत करना होगा। यूवीएफ (UVF) मसौदा अनुबंध समझौते की समीक्षा करने के लिये अधिकृत होगा।

4.1.5 सरकार प्रदर्शन बेंचमार्क का पालन सुनिश्चित करने और यदि आवश्यक हो तो नए एआईएफ (AIF) को शामिल करने की सुविधा के लिए रोलिंग आधार पर पैनल को आगे बढ़ाने के लिये अधिकृत होगी। इसके लिये विशिष्ट शर्तों को सदस्यता समझौते/पीपीएम या किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों में परिभाषित किया जायेगा।

4.2 फण्ड के मार्गदर्शक सिद्धान्त

4.2.1 यूवीएफ (UVF) किसी एक एआईएफ (AIF) में 20 करोड़ रूपये से कम और 40 करोड़ रूपये से अधिक निवेश नहीं करेगा।

4.2.2 यूवीएफ (UVF) किसी भी एआईएफ (AIF) में एकल बहुमत निवेश भागीदार नहीं होगा, और सभी पूर्व–सहमत अनुपातों को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूवीएफ (UVF) या तो एक समान–निवेश भागीदार (50%) या अल्पसंख्यक निवेश भागीदार होगा।

4.2.3 ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान, हर्डल दर को परिभाषित किया जाएगा जिसे सभी भागीदार एआईएफ (AIF) द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

4.2.4 एआईएफ (AIF) को किसी अन्य शुल्क/ कैरी रेट/लाभ साझाकरण व्यवस्था आदि से पहले सरकार को निर्दिष्ट हर्डल दर का भुगतान करना होगा। इसे सदस्यता समझौते और अन्य संबंधित दस्तावेजों में उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

4.3 फण्ड का संचालन एवं निवेश चक्र

4.3.1 फंड के बारे में परिचालन संबंधी निर्णय सेबी के विनियमों/भागीदार एआईएफ (AIF) के साथ समझौतों/टर्म शीट/किसी अन्य प्रचलित दस्तावेज द्वारा निर्देशित होंगे।

4.3.2 एआईएफ (AIF) को उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.3.3 यदि कोई एआईएफ (AIF) उत्तराखंड स्टार्टअप नीति–2023 के अंतर्गत गैर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में निवेश करना चाहता है, तो उसे टास्क फोर्स से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

ऐसे स्टार्टअप को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा–

(क) स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत डीपीआईआईटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) स्टार्टअप को फंडिंग प्रतिबद्धता प्राप्त करने और फंडिंग की वास्तविक शुरूआत के 3 महीने के भीतर उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत मान्यता के लिए आवेदन करना होगा।

(ग) स्टार्टअप को उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक या तकनीकी प्रभाव प्रदर्शित करना होगा।

4.3.4 सरकार निवेश अवसरों के सृजन के लिये निवेशक राउण्ड टेबल, पिच डेक प्रस्तुति कार्यक्रम और नवाचार प्रदर्शनियों का आयोजन करेगी। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से, स्टार्टअप्स और एआईएफ (AIF) के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

4.3.5 सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष की शुरूआत में यूवीएफ (UVF) के लिए पर्याप्त बजटीय परिव्यय को मंजूरी मिल जाए ताकि भागीदार एआईएफ (AIF) अपने निवेश पोर्टफोलियो को निर्बाध रूप से संचालित कर सकें, जैसा कि फंड के निजी प्लेसमेंट ज्ञापन (पीपीएम)/सदस्यता समझौतों के तहत प्रतिबद्ध है।

4.3.6 यदि कोई एआईएफ (AIF) किस्तों में निवेश करता है, तो यूवीएफ (UVF) स्टार्टअप की टर्म शीट में उल्लिखित पूर्व–सहमत अनुपातों के अनुसार किस्तों में अपनी पूंजी प्रतिबद्धता प्रदान करेगा।

4.3.7 यूवीएफ (UVF) से पूंजी प्रतिबद्धताओं को एआईएफ द्वारा पात्र स्टार्टअप्स की सुरक्षित प्रतिबद्धताओं/सहमत टर्म शीट के सापेक्ष निकाला जाएगा। एआईएफ (AIF) को धनराशि उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। महानिदेशक उद्योग/सीईओ यूके–स्पाईस (उत्तराखण्ड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट,स्टार्टअप एण्ड इन्टरप्रिन्योरशिप) तदनुसार धन जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।

4.3.8 यूवीएफ (UVF) किसी विशेष स्टार्टअप के लिए चरणबद्ध तरीके से अपनी निवेश रणनीति को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा:

(क) निवेश चरण (3–5 वर्ष): इस चरण के दौरान, यूवीएफ (UVF) स्टार्टअप के विकास/स्केलिंग चरण में निवेश करेगा।

(ख) बहिर्गमन चरण (5–9 वर्ष): यूवीएफ (UVF) अपने परिपक्व निवेशों से अधिकतम

File No. MSME-4/IP/1/2024-VII-B-1-MSME Department-Part(1) (Computer No. 76515)
Generated from eOffice by SANJAY KUMAR KALA, RO-MSME Section-SKK, REVIEW OFFICER, MSME Department on 12/03/2025 01:37 PM

रिटर्न प्राप्त करने के लिए रणनीतिक बहिर्गमन को क्रियान्वित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

4.3.9 स्टार्टअप से बहिर्गमन की स्थिति में, निकास राशि/परिसमापन मूल्य यूके–स्पाईस (उत्तराखण्ड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट,स्टार्टअप एण्ड इन्टरप्रिन्योरशिप) के पास जमा किया जाएगा और उचित समझे जाने पर पुनर्निवेश किया जा सकता है। यदि यूवीएफ (UVF) किसी स्टार्टअप से एआईएफ (AIF) के बहिर्गमन के बाद अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने का विकल्प चुनता है, तो इक्विटी रखने वाली इकाई के संबंध में निर्णय महानिदेशक उद्योग/सीईओ यूके–स्पाईस (उत्तराखण्ड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एण्ड इन्टरप्रिन्योरशिप) के पास रहेगा।

4.4 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

4.4.1 एआईएफ (AIF) यूवीएफ (UVF) को त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

4.4.2 साझेदार एआईएफ (AIF) द्वारा अनुश्रवण और रिपोर्टिंग लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ) विनियम, 2012 के अनुसार होगी।

4.4.3 स्टार्टअप काउंसिल यूवीएफ (UVF) के लिए आवश्यकतानुसार दिशानिर्देश प्रदान करेगी, जिसमें शामिल हैं–

(क) यूवीएफ (UVF) का अनुश्रवण, अनुमोदन एवं मूल्यांकन।

(ख) पैनल में शामिल एआईएफ (AIF)को प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना।

4.4.4 यदि उचित समझा जाए, तो सरकार भविष्य में लाभ के पुनर्निवेश या सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार निकाय/पीएसयू या भारत सरकार से नई पूंजी के निवेश के माध्यम से यूवीएफ (UVF) के कोष को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

4.4.5 भविष्य में, सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ) विनियम, 2012 के अनुसार डॉटर फंडों में निवेश या स्टार्टअप में प्रत्यक्ष निवेश के लिए यूवीएफ (UVF) कोष के एक हिस्से या पूरे हिस्से को सेबी–पंजीकृत एआईएफ (AIF) योजना में बना सकती है और नामित कर सकती है।

Signed by
Vinay Shankar Pandey
Date: 12-03-2025 11:37:46

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या 293 /VII-3.24/04(01)एम0एस0एम0ई0/2024,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉयू मण्डल नैनीताल।
7– महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

8– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।

11– प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल देहरादून।

12– प्रतिनिधि, आई.आई.टी. रूड़की/आई.आई.एम. काशीपुर/जी.बी. पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर/एन.आई.टी. श्रीनगर गढ़वाल द्वारा महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग,उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

13– समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

14– अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूड़की जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, 50 प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

15– निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

16– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Shiv Shanker Mishra
Date: 12-03-2025 11:56:18

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।

In pursuance of the provision of the Clause (3) of article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the english translation of office memorandum no. 293/VII-3-25/4(1)-MSME/2024, dated..12...March, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand
Micro, Small & Medium Enterprises Section
No: 293/VII-3-25/4(1)/MSME/2024,
Dehradun, Dated: 12 March, 2025

Office Memorandum

The Uttarakhand Venture Fund Operational Guidelines, 2025

1. Introduction

1.1 The Uttarakhand Startup Policy 2023 aims to create a culture of innovation and entrepreneurship with several fiscal and non-fiscal policy instruments benefitting all the key startup ecosystem players. In accordance with this goal, the Government of Uttarakhand (hereafter referred to as "the government") has announced the formation of a fund with a corpus of INR 200 Cr under clause 5.5 of the Uttarakhand Startup Policy 2023, notified vide G.O 371/VII-3-23/41-MSME/2016 dt 17 March 2023. This corpus shall be hereafter referred to as "Uttarakhand Venture Fund" or "UVF".

1.2 The Department of Industries, Government of Uttarakhand, will be the implementing agency for UVF.

2. Objectives

2.1 The Uttarakhand Venture Fund (UVF) will catalyze private sector investment in Uttarakhand's startup ecosystem by leveraging public funds.

2.2 The government will utilize this corpus to participate as a limited partner in SEBI registered Alternative Investment Funds (AIFs) through capital commitments.

2.3 The government will invest in other empaneled AIFs, whose investment strategy meets the investment objective and guidelines of UVF viz. investing in startups with an objective to provide them scale up fund in the form of equity funding to enable them to develop and grow their enterprises with positive economic and social spill-over effects for Uttarakhand.

3. Definitions

Alternative Investment Fund

As per Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, "Alternative Investment Fund" means any fund established or incorporated in India in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate which, -

i. is a privately pooled investment vehicle which collects funds from investors, whether Indian or foreign, for investing it in accordance with a defined investment policy for the benefit of its investors; and

File No. MSME-4/IP/1/2024-VII-B-1-MSME Department-Part(1) (Computer No. 76515)
Generated from eOffice by SANJAY KUMAR KALA, RO-MSME Section SKK, REVIEW OFFICER, MSME Department on 12/03/2025 01:33 PM

ii. is not covered under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999 or any other regulations of the Board to regulate fund management activities:

Provided that the following shall not be considered as Alternative Investment Fund for the purpose of these regulations, -

i. family trusts set up for the benefit of 'relatives' as defined under Companies Act, 2013;

ii. ESOP Trusts set up under the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or as permitted under Companies Act, 2013;

iii. employee welfare trusts, or gratuity trusts set up for the benefit of employees;

iv. 'holding companies' as defined under clause 46 of section 2 of Companies Act, 2013;

v. other special purpose vehicles not established by fund managers, including securitization trusts, regulated under a specific regulatory framework;

vi. funds managed by securitisation company or reconstruction company which is registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002; and

vii. any such pool of funds which is directly regulated by any other regulator in India.

Corpus	• The total capital commitments raised by an AIF from investors/limited partners.
Equity	• Equity is the amount of money that a company's owner has put into it or owns.
Equity Investment	• An equity investment is money that is invested in a company by purchasing shares of that company in the stock market.
Exit	• A startup exit is when an owner (and investors) of a startup company sells their ownership or stock in the company, either for profit or at a loss.
Hurdle Rate	• The minimum rate of return an AIF should generate before being able to participate in the profit share.
Innovation	• As per sub-clause 1.11 of clause 1 of the Uttarakhand Startup Policy 2023.
Investment Period	• The period during which the AIF aims to deploy the committed capital into investments.
Limited	• An investor who commits capital to the AIF and whose

Partner	liability is limited to their capital commitment.
Private Placement Memorandum (PPM)	• The document issued by AIFs for offering units to investors, containing all fund details.
SEBI	• Securities and Exchange Board of India, the regulator for AIFs.
Social Ventures	• Entities working towards promoting social welfare or solving social problems.
Startup Council	• As per sub-clause 1.23 of clause 1 of The Uttarakhand Startup Policy 2023.
Subscription Agreement	• The legal agreement between the AIF and an investor/LP governing the terms of their partnership.
Task Force	• As per sub-clause 1.26 of clause 1 of the Uttarakhand Startup Policy 2023.
UK-SPISE	• Uttarakhand Society for Promotion of Investment, Start-up and Entrepreneurship

4. Operation and Monitoring of UVF

4.1 Establishment of funds

4.1.1 As per clause 5.5 of The Uttarakhand Startup Policy 2023, The Government has setup a corpus of INR 200 Cr as Uttarakhand Venture Fund or UVF

4.1.2 UVF will operationalise the fund by participating as a limited partner in SEBI registered AIFs by entering into an agreement and making capital commitments

4.1.3 UVF will onboard AIFs through a competitive process via provisions of Uttarakhand Procurement rules 2017, or latest procurement rules as defined by the government.

4.1.4 AIFs shall present a draft Subscription Agreement at their own cost. UVF reserves the right to have the draft contract agreement reviewed.

4.1.5 The government reserves the right to carry out the empanelment on a rolling basis to ensure adherence to performance benchmarks and facilitate the inclusion of new AIFs, if required. The specific terms of the same are to be defined in the Subscription Agreement/PPM or any other relevant documents.

4.2 Guiding Principles for funds

4.2.1 UVF shall not infuse less than INR 20 Cr and not more than INR 40 Cr into one single AIF.

4.2.2 UVF shall not be the single majority investment partner in any AIF, and all pre-agreed ratios must be defined in such a way as to ensure that UVF shall either be an equal-investment partner (50%) or a minority investment partner.

4.2.3 During the onboarding process, the hurdle rate will be defined which must be committed by all the partnering AIFs.

4.2.4 AIFs must disburse the designated hurdle rate to the government before any other fees/carry rates/profit sharing arrangement/etc. The same is to be appropriately stipulated in the Subscription Agreement and other related documents.

4.3 Operation of funds and investment cycle

4.3.1 Operational decisions regarding the fund shall be guided by the SEBI regulations/agreements with partner AIFs/term sheet/any other prevailing document.

4.3.2 AIFs shall be encouraged to invest in startups that are recognized under The Uttarakhand Startup Policy 2023.

4.3.3 If an AIF intends to invest in startups that are not recognized by The Uttarakhand Startup Policy 2023, it must obtain a prior no objection certificate from the Task Force.

Such startup must meet the following conditions:

a. Startup must be registered with DPIIT under Startup India Scheme.

b. Startup must apply for recognition under the Uttarakhand Startup Policy 2023 within 3 months of receiving funding commitment and actual rollout of funding.

c. Startup must demonstrate significant social, economic or technological impact for Uttarakhand.

4.3.4 The government will organize investor roundtables, pitch deck presentation events, and innovation exhibitions to facilitate a continuous pipeline of investment opportunities. Through such engagements, the government seeks to foster a collaborative ecosystem for startups and AIFs.

4.3.5 The government shall ensure that sufficient budgetary outlay is approved for UVF at the beginning of the financial year to enable partner AIFs to seamlessly operate their investment portfolios as committed under the Private Placement Memorandum (PPM)/ Subscription Agreements of the funds.

4.3.6 If an AIF invests in tranches, UVF shall provide its capital commitment in tranches, in accordance with pre-agreed ratios outlined in the term sheet of the startup.

4.3.7 The capital commitments from UVF shall be drawn down by the AIFs against secured commitments/agreed term sheets of eligible startups. Such demands received from AIFs are to be fulfilled on demand basis. The Director General, Industries/CEO,UK-SPISE (Uttarakhand Society for Promotion of Investment, Startup and Entrepreneurship) is authorized to release funds accordingly.

4.3.8 UVF will focus to align its investment strategy, phasewise, for a particular startup:

a. Investment Phase (Years 3-5): During this phase, UVF shall invest in

growth/scaling stage of a startup.

b. Exit Phase (Years 5-9): UVF shall focus on executing strategic exits to maximize returns from its mature investments.

4.3.9 In the event of an exit from a startup, the exit amount/liquidation value shall be deposited with UK-SPISE (Uttarakhand Society for Promotion of Investment, Startup and Entrepreneurship) and may be reinvested as deemed appropriate. The decision regarding the entity to hold the equity, in case where UVF opts to retain its stake following the exit of an AIF from a startup, shall rest with the Director General, Industries/CEO,UK-SPISE (Uttarakhand Society for Promotion of Investment, Startup and Entrepreneurship).

4.4 Monitoring and Oversight

4.4.1 AIFs will be required to submit quarterly performance reports to the UVF.

4.4.2 Monitoring & reporting by partner AIFs will be in accordance with applicable Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations.

4.4.3 The Startup Council shall provide oversight as required for UVF, including:

a. Approvals around the monitoring and evaluation mechanisms of UVF.

b. Ensuring time bound disbursal of commitments to empanelled AIFs

4.4.4 If deemed appropriate, the government may consider increasing the corpus of the UVF in the future through reinvestment of gains or infusion of fresh capital from the government or any other State Government body/PSUs or Government of India.

4.4.5 In future, the government may form and designate a part or whole of the UVF corpus into a SEBI registered AIF Scheme as per the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, for investment in daughter funds or direct investment in startups.

Signed by
Vinay Shankar Pandey
Date: 12-03-2025 13:17:08
(VINAY SHANKAR PANDEY)
SECRETARY